न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 96/2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
कानाराम पुत्र गुणेशाराम निवासी– खरडिया, तहसील धोरीमन्ना, बाडमेर।		1. पूनमाराम पुत्र मनजीराम 2. हेमाराम 3. दलाराम 4. डालूराम पुत्रान मनजीराम जतियान जाट निवासी– खरडिया, तहसील–धोरीमन्ना बाडमेर। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धोरीमन्ना, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 17.12.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व प्रा0पत्र संख्या 32/2020 अनवान पूनमाराम वगैराह बनाम कानाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः——

1. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 16 अगस्त,2021

1. उपरोक्त अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2020 के विरूद्ध अपील दिनांक 12.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा की गई बहस सुनी।

2. दौरान सुनवाई अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत इस आशय का पेश किया कि ख0सं0 545/274 रकबा 40 बीघा 02 बिस्वा ग्राम खरडिया तहसील धोरीमन्ना में आई हुई है जिसके चिपते हुए ख0सं0 544/274 रकबा 33 बीघा अपीलार्थी का आया हुआ है। मूल ख0सं0 274 रकबा 106 बीघा 2 बिस्वा था। अपीलान्ट ने पंजीबद्ध बेचाननामा के 33 बीघा भूमि खरीद की थी जिसका ख0सं0 274/1 दर्ज किया गया तथा मूलाराम पुत्र गुणेशाराम ने भी 33 बीघा भूमि खरीद की थी। जिसका ख0सं0 274/2 दर्ज किया गया तत्पश्चात वर्ष 2001 में 40.2 बीघा भूमि प्रत्यर्थीगण द्वारा खरीद की गई तब से मौके पर काबिज चले आ रहे है।

3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करवाने पर ख0सं0 274 के स्थान पर ख0सं0 545/274 व 274/1 के स्थान पर ख0सं0 544/274 तथा ख0सं0 274/2 के स्थान

16/8/2021
डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

पर ख0सं0 546/274 दर्ज कर दी गई। खेतों के बीच में नक्शें में तरमीम की गई है जो मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार नहीं की गई है। इसलिये तरमीम व मौके पर भारी अन्तर है जिसकों शुद्ध किया जाना आवश्यक है। नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। इसलिये वो तरमीम शुद्ध करवाना चाहते है। जिस पर अपीलान्ट की ओर से जवाब पेश किया गया तथा राजस्व रेकर्ड विधि अनुसार सही है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा रिपोर्ट के अनुसार शुद्धि की मांग की गई। जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.12.2020 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण उसे निरस्त कराने हेतु यह अपील पेश की गई।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौका फर्द का अवलोकन किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है जबकि मौका फर्द दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है तथा अपीलार्थी के खसरे का माप भी नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी की तरमीम को हटाया नहीं जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने नक्शे में हुई किसी त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि का वर्णन नहीं किया है तथा सीधे ही प्रत्यर्थी के खसरे की तरमीम को सही किये जाने का आदेश पारित किया है जबकि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना दोनों खसरों का माप किये ही व सम्पूर्ण खसरे का माप किये बिना ही किसी प्रकार की शुद्धि नहीं की जा सकती है। इस कारण से भी आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें।

5. हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें रेस्पो0 सं0 1 ता 4 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत पेश कर ग्राम खरडिया तहसील धोरीमन्ना के ख0सं0 545/274 रकबा 40 बीघा 02 बिस्वा आई हुई है जिसके पडौस में ख0सं0 544/274 रकबा 33 बीघा वर्तमान अपीलार्थी का आया होना प्रकट है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करवाने पर ख0सं0 274 के स्थान पर ख0सं0 545/274 व 274/1 के स्थान पर ख0सं0 544/274 तथा ख0सं0 274/2 के स्थान पर ख0सं0 546/274 दर्ज कर दी गई। नक्शें में की गई तरमीम और मौके पर कब्जे अनुसार अन्तर होने से उसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। जिस पर अपीलान्ट की ओर से जवाब पेश किया जाना तथा राजस्व रेकर्ड विधि अनुसार सही होना बताया। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 17.12.2020 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।

6. अपीलान्ट का अधिनस्थ न्यायालय के आदेश बाबत मुख्य आपत्ति यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके अनुसार वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं करवाई, मात्र राजस्व नक्शे को ही आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया गया है और मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट की उपस्थिति/अनुपस्थिति तथा उसकी सहमति/असहमति भी अंकित भी नहीं करवाई। चूंकि उक्त वादग्रस्त मूल खसरान भूमि में तीन खातेदार है जिनके द्वारा पंजीकृत बेचान दस्तावेज के माध्यम भूमि खरीद की हुई है तथा क्रमशः 40.02 बीघा, 33.00 बीघा तथा 33.00 बीघा है।

16/8/2021

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम में भी यह प्रावधान है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार–अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें।''

8. ऐसे में हमारे विनम्र मत में अधिनस्थ न्यायालय को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन पर विचार करने तत्पश्चात विधि अनुरूप नये सिरे से आदेश जारी किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2020 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए प्रतिप्रेषित किया जाकर उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपील में वादग्रस्त मूल खसरा संख्या 274 रकबा 106.02 बीघा में आये हुए उपरोक्त रेस्पोडेन्टस पक्षकार के अतिरिक्त अपीलान्ट एवं अन्य सह खातेदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने, उन्हें मौके पर उपस्थित रखकर, उनके भूमि खरीद दस्तावेज अनुसार रकबा भूमि का ज्ञान करवाने के उपरान्त राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्धि किये जाने बाबत पुनः विधि अनुरूप आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/8/2021

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर